बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0स0– 11 / विविध–6–12 / 2014– पटना, दिनांक–

आदेश

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बौंसी, बॉका द्वारा हिरम्वी नदी पर बियर बॉध निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु दिनांक– 09.06.06 को निविदा प्रकाशित किया गया था । सत्येन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा समर्पित किया गया । निविदा में समर्पित कागजात में वाणिज्य कर सफाया प्रमाण पत्र दिया गया । उनके द्वारा समर्पित सफाया प्रमाण पत्र में ओभर राईटिंग होने की स्थिति में इसकी जॉच आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, भागलपुर से कराया गया । उनके द्वारा अपने पत्रांक– 106 दिनांक– 27.06.06 द्वारा सूचित किया गया कि सफाया प्रमाण पत्र दिनांक– 20.05.05 को निर्गत है । डाले गये निविदा में उक्त प्रमाण पत्र ओभर राईटिंग कर 20.05.06 कर दिया गया है । फलस्वरूप संवेदन के विरूद्ध बौंसी थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया । दर्ज प्राथमिकी के परिपेक्ष्य में एवं उक्त जालसाजी एवं धोखाधड़ी के लिए संवेदक के निबंधन को काली सूची में डाले जाने हेतु पत्रांक– 2238 दिनांक– 11.09.07 द्वारा कारण – पच्छा किया गया ।

संवेदक द्वारा दिनांक– 28.09.07 को कारण पृच्छा दिया गया था । उनके स्पष्टीकरण के आलोक में मामले की जॉच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गई । जॉच के आधार पर पुनः पत्रांक– 1927 दिनांक– 25.06.08 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया । उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के पश्चात पत्रांक– 3000 दिनांक– 17.10.08 द्वारा उनसे द्वितीय कारण–पृच्छा किया गया जिसमें उड़नदस्ता का जॉच प्रतिवेदन भी संलग्न किया गया था । संवेदक का स्पष्टीकरण दिनांक– 06.11.2008 को प्राप्त हुआ लेकिन इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका । इसी बीच संवेदक द्वारा अपना पुराना निबंधन संख्या– 1 एस0–11 / 97 को नवीकरण कराने हेतु आवेदन दिया गया जिसे नवीकरण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 1678 / 2009 सत्येन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 03.02.09 को खारिज कर दिया गया । तदुपरांत एल0पी0ए0 संख्या– 256 / 2009 दायर किया गया । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक– 25.03.09 को पारित न्याय निर्णय में निदेश दिया गया कि याचिकाकर्त्ता के आवेदन पर पूर्ण विचार कर न्याय निर्णय प्राप्ति के तीन माह के भीतर तार्किक आदेश पारित करें । माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2375 दिनांक– 28.09.09 के अनुसार संवेदक का इस शर्त के साथ निबंधन संख्या– 34 / 2009 (प्रथम श्रेणी) आवंटित किया गया कि यह निबंधन उनके विरूद्ध चल रही कार्रवाई के फलाफल से प्रभावी होगा ।

चूकि संवेदक के पूर्व के स्पष्टीकरण पर काफी लंबे समय तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया इस कारण संवेदक के कृत को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) (vii) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनसे विभागीय पत्रांक– 3927 दिनांक– 17.08.15 के द्वारा नया कारण पृच्छा किया गया कि क्यों नहीं उनके निबंधन संख्या– 34 / 2009 (प्रथम श्रेणी) को काली सूची मे डाल दिया जाय । संवेदक से कारण–पृच्छा का उत्तर दिनांक– 11.09.2015 को प्राप्त हुआ ।

संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि जिन बिन्दुओं को कारण–पृच्छा में उठाया गया है, उसके संबंध में उनके द्वारा कई बार कहा गया है कि निविदा उनके द्वारा नहीं समर्पित किया गया है और हस्ताक्षर उनका नहीं है । साथ ही यह भी कहा गया कि उनका निबंधन माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में हुआ है । उनका निबंधन माननीय बांका जिला न्यायालय के अंतिम निर्णय तक वैद्य रहेगा । यह भी कहा गया कि उनके मामले में बांका कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की जाय । इस स्थिति में कोई कार्रवाई कानून के उपर होगा ।

कृ0पृ0उ0–2